



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरयुगलपीठकोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवरदांडिक अपील क्रमांक 90/1983अपीलार्थी

:

अवतार सिंह

बनामप्रत्यर्थी

:

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

विचारार्थ निर्णय

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति आर.एल. झंवर

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

दिनांक 16 दिसंबर, 2009 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 90/1983

अपीलार्थी : अवतार सिंह पिता पालसिंह, उम्र 26 वर्ष,
(अभिरक्षा में) व्यवसाय ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, निवासी
दीपकनगर, दुर्ग।

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)
{दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील}

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता।
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(16 दिसंबर 2009)

न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया: -

1. इस अपील में सत्र न्यायाधीश, सत्र खण्ड, मंडला द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 61/80 एवं 62/80 में दिनांक 27-12-1982 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34, 307 सहपठित धारा 34 एवं आयुध अधिनियम की धारा



28 के अंतर्गत अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष करते हुए क्रमशः आजीवन कारावास, पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं दो वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया है। तथापि, सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से दोषमुक्त कर दिया है और शेष पंद्रह अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 307 सहपठित धारा 34, 302 सहपठित धारा 111 और 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप अधिरोपित किये गए हैं।

2. निर्णय इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि अपीलार्थी को प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ने वाले किसी भी साक्ष्य के बिना, जैसे कि घटना के समय अपीलार्थी की उपस्थिति राइफल से सुसज्जित, राइफल की बरामदगी और अभियोजन के लिए एक नया मामला बनाकर, सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त तरीके से सिद्धदोष और दंडित करके अवैधानिकता की है।

3. अपराध कारित सत्र खंड, दुर्ग के क्षेत्राधिकार में किया गया है, लेकिन दोनों सत्र विचारण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश द्वारा मंडला स्थानांतरित कर दिए गए हैं और तत्पश्चात, नए छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन के बाद, वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से स्थानांतरण पर प्राप्त हुई है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि अपीलार्थी सह-अभियुक्त सुरता सिंह का दामाद है जो सुच्चा सिंह का पिता है। एक अन्य सह-अभियुक्त हरबिंदर सिंह उर्फ हरेंद्र सिंह उर्फ कुक्की सुच्चा सिंह का साला है। सुरता सिंह (सुच्चा सिंह के पिता) और निरंकारी भाइयों भजन सिंह और प्रीतम सिंह के घर मालवीय नगर, दुर्ग में एक-दूसरे के घर के सामने स्थित हैं। अभियुक्त सुच्चा सिंह अपने पिता सुरता सिंह के साथ उक्त घर में रहता था और वह एक बड़ा मदिरा ठेकेदार था। अन्य सभी अभियुक्त सुरता सिंह, सुच्चा सिंह, हरबिंदर सिंह और संतोख सिंह के साथ मेसर्स एस.एस. ढिल्लों एंड कंपनी फर्म में साझेदार हैं। अभियुक्त सुच्चा सिंह के पास फिएट कार क्रमांक एमपीटी-7760 थी, संतोख सिंह ट्रक क्रमांक सीपीटी-2118 का स्वामी था और अभियुक्त/अपीलार्थी अवतार सिंह उस राइफल का स्वामी था जिसका प्रयोग कथित तौर पर अपराध कारित करने के लिए किया



गया था। वर्ष 1980 या 1980 से पहले, सिख समुदाय अकाली और निरंकारी नामक दो गुटों में विभाजित था। अकाली परंपरावादी और पुराने नैतिकतावादी हैं वर्ष 1978 में अमृतसर में दोनों गुटों के बीच खुला टकराव हुआ। इसके बाद अकालियों ने निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह को खत्म करने का निर्णय लिया।

5. दिनांक 19-3-1980 को निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह दुर्ग शहर से लगे भिलाई सेक्टर-8 में निरंकारी सत्संग भवन की आधारशिला रखने के लिए दुर्ग आए थे। वे अपने शिष्य प्रीतम सिंह के घर में रुके थे, जिनका घर सुरता सिंह के घर के सामने स्थित था। सुरता सिंह जो अकालियों का अनुयायी है और अन्य अभियुक्तों ने सुरता सिंह के घर में घुसकर और ग्रीन होटल में दिनांक 19-3-1980 को निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या करने की साजिश रची। अभियुक्त मोहम्मद अजीज, जो मेसर्स एस.एस. डिल्लन एंड कंपनी के ट्रक क्रमांक सीपीटी-2118 का तत्कालीन चालक था, को छोड़कर शेष 15 अभियुक्त अकाली थे। दिनांक 19-3-1980 को शाम लगभग 5 बजे निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह निरंकारी सत्संग भवन की आधारशिला रखने के लिए भिलाई सेक्टर-8 के लिए रवाना हुए। निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह सफेद शेवरले कार के पीछे काली मर्सिडीज कार में बैठे थे। साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, अभियुक्त मोहम्मद अजीज और अवतार सिंह साइंस कॉलेज पुलिया के पास निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह का इंतजार कर रहे थे। मोहम्मद अजीज ट्रक चला रहा था। यह विश्वास करके कि निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह शेवरले कार क्रमांक डीएचसी-9907 में बैठे हैं, मोहम्मद अजीज ने शेवरले कार को गलत साइड से टक्कर मार दी। अपीलार्थी अवतार सिंह और सह-अभियुक्त हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की ट्रक के अंदर बैठे थे। ट्रक द्वारा टक्कर मारने के बाद, अभियुक्त अवतार सिंह अपनी 315 बोर की राइफल के साथ ट्रक से कूद गया और निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह को यह विश्वास करके मारने के आशय से शेवरले कार पर दो गोलियां चलाई बंदूक की गोली लगने से (फायर शॉट) शेवरले कार के अंदर बैठी श्रीमती स्वदेश नीलम की तत्काल मृत्यु हो गई। पुलिस पक्ष निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह के जुलूस के साथ थी। अवतार सिंह ने घटनास्थल से भागने की कोशिश



की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। जब पुलिस ने अवतार सिंह को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, तो उसने पुलिस पर अपनी राइफल से गोलीबारी की और अंततः उसे पुलिस अधिकारी उदयरज दुबे, सहायक उप-निरीक्षक (अ.सा.-35) ने पकड़ लिया, जिन्होंने राइफल छीन ली। अन्य सह-अभियुक्त हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की और मोहम्मद अजीज तुरंत फिएट कार की ओर दौड़े, जो पहले से ही घटनास्थल के पास खड़ी थी और कार के अंदर बैठ गए, जिसके बाद अभियुक्त सुच्चा सिंह, जो उनका इंतजार कर रहा था, ने कार को तेज कर दिया और वे उक्त कार से घटनास्थल से फरार हो गए। भजन सिंह ने दिनांक 19-3-1980 को प्र.पी.-5 के माध्यम से मोहन नगर, दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट. प्र.पी.-5क भी दर्ज कराई। पी.के. वर्मा (अ.सा.-56), थाना मोहन नगर, दुर्ग ने अवतार सिंह द्वारा पुलिस दल पर की गई गोलीबारी के संबंध में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रीमती स्वदेश नीलम के शव की जाँच की गई और शव को शवपरीक्षण के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया। शवपरीक्षण डॉ. डी.के. अग्रवाल (अ.सा.-12) ने प्र.पी.-21 के अनुसार निम्नलिखित

चोटें पाई: -

(1) दाहिने बाहरी कान पर हेलिक्स और एंटीहेलिक्स के बीच पिन्ना के सबसे ऊपरी वक्र से 2 इंच नीचे अंडाकार घाव, 1 सेमी x 0.5 सेमी x आर-पार। किनारे उलटे हैं। घाव के पास रक्त के धब्बे उपस्थित हैं। त्वचा पर कोई टैटू या कालापन नहीं है।

(2) चोट क्रमांक 1 के अनुरूप दाहिने मास्टॉयड क्षेत्र में अंडाकार घाव, 1 सेमी x 0.5 सेमी x मस्तिष्क की गहराई तक। किनारे उलटे हैं। रक्त के धब्बे + बालों में जलन या झुलसन नहीं है।

(3) दाहिने टेम्पोरल, पैरिएटल और ओक्सीपिटल क्षेत्र से खोपड़ी का व्यापक घाव, जिसमें टेम्पोरल, पैरिएटल और ओक्सीपिटल संयुक्त अस्थिभंग है। जिससे इयूरा मैटर का फटना और दाहिने टेम्पोरल, दाहिने पैरिएटल और ओक्सीपिटल लोब के अनुरूप मस्तिष्क पदार्थ का कुचलना।



(4) दाहिने ऊपरी भुजा के पार्श्व भाग में अंडाकार घाव कंधे से 4 इंच नीचे, 1.5 सेमी x 1 सेमी x 3 इंच। किनारे उलटे हैं। घाव के पास रक्त के धब्बे उपस्थित हैं। कोई गोदना या कालापन नहीं है। घाव की दिशा तिरछी है। बगल की ओर नुमेरस पर पोस्ट करें। घाव के अंदर 3 इंच तक धँसा एक अनियमित धातु का टुकड़ा।

दांतेदार किनारों और नुकीले कोनों वाला धातु का एक टुकड़ा, रक्त से सना हुआ, चोट क्रमांक 4 में भी पाया गया। मृत्यु का कारण मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग पर लगी गहरी चोट के कारण सदमे से होना बताया गया।

6. गुरुबख्श सिंह (अ.सा.-42) की जांच डॉ. जे. गुहा (अ.सा.-13) द्वारा प्र.पी-22 के अनुसार की गई, जिन्होंने दाहिने कान पर 1/4" x 1/2" का एक सतही घाव पाया। नरसिंह की जांच डॉ. एम. मोहंती (अ.सा.-25) द्वारा प्र.पी-81 के अनुसार की गई, जिन्होंने दाहिने पूर्व ऑर्बिटल क्षेत्र पर 1/2" x 1 1/2" का एक कटा हुआ घाव पाया। एक अन्य घायल मनमोहन सिंह का भी परीक्षण डॉ. एम. मोहंती (अ.सा.-25) ने प्र.पी-82 के माध्यम से की, जिन्होंने पूर्व ऑर्बिटल क्षेत्र पर 3/4" x 1/2" का कटा हुआ घाव, खोपड़ी पर 1 1/2 x 1/2" का कटा हुआ घाव, दोनों कलाईयों पर कोमलता, बाएं तर्जनी पर 1/4" x 1/2" का कटा हुआ घाव, दाहिने घुटने पर 1/4 x 1/4" का घर्षण और ओसीसीपिटल क्षेत्र पर 1/2 x 1/4" का कटा हुआ घाव पाया। अमर सिंह (अ.सा.-45) का परीक्षण डॉ. एम. मोहंती (अ.सा.-25) ने प्र.पी-83 के माध्यम से की, जिन्होंने दो छोटे कटे हुए घाव और बाएं जांघ के मध्य पर एक रैखिक एकिमोसिस पाया। लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-60) का परीक्षण डॉ. ए.के. वर्मा (अ.सा.-26) को प्र.पी.-85 के अनुसार एक नील घाव और एक दबा हुआ घाव मिला।

7. घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.-125 के अनुसार तैयार किया गया और अपीलार्थी अवतार सिंह की छीनी हुई राइफल को प्र.पी.-20 के अनुसार उदयरज दुबे, सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.-35) से जब्त किया गया, जिसमें बारूद की गंध आ रही थी। घटनास्थल से खाली कारतूस प्र.पी.-17 के अनुसार जब्त किए गए। जब्त की गई वस्तुओं



को प्र.पी.-137, 138, 138क, 154क और 157क के अनुसार रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया। घटनास्थल से रक्त से सने और सादी मिट्टी प्र.पी.-16 के अनुसार जब्त की गई। रक्त से सने कपड़े, वस्तुएं, हड्डी के टुकड़े, कालीन, साड़ी और ब्लाउज प्र.पी.-14 के अनुसार बरामद किए गए। अपीलार्थी अवतार सिंह की कमीज पर अन्य वस्तुओं के साथ खून की मौजूदगी की पुष्टि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर द्वारा प्र.पी-162 के माध्यम से की गई। जब्त किए गए खाली कारतूस और राइफल को बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास भेजा गया और बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा प्र.पी-55 के माध्यम से उक्त राइफल द्वारा खाली कारतूसों के प्रयोग की पुष्टि की गई। साक्षियों के कथन दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। अन्वेषण के दौरान तस्वीरें भी ली गईं। घटनास्थल से दो कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, फायरिंग प्वाइंट, दो चप्पल, खाली कारतूस प्र.पी-103 के तहत जब्त किए गए।

8. अन्वेषण पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग को सौंप दिया, जहां से मामला सत्र न्यायाधीश, मंडला के न्यायालय में एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1262 में पारित दिनांक 7-10-80 के आदेश और एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1436 में पारित दिनांक 17-11-80 के संशोधित आदेश द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, दोनों सत्र विचारण सत्र खण्ड, मंडला को स्थानांतरित कर दिए गए।

9. अभियुक्तों का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 66 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष और झूठे आरोप में फंसाने का तर्क दिया। उन्होंने बचाव पक्ष के लगभग 26 साक्षियों के साक्ष्यों का भी परीक्षण किया।



10. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात अपीलार्थी अवतार सिंह को सिद्धदोष कर और दंडित किया तथा शेष अभियुक्तों को बरी कर दिया।
11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया है।
12. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने दृढतापूर्वक तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करना आवश्यक था। विचारण न्यायालय एक नया मामला बनाने के लिए सक्षम नहीं थी, जिस पर अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा आरोप नहीं लगाया गया है और अभियुक्त को परिस्थितियों को स्पष्ट करने और मामले का बचाव करने का अवसर प्रदान किए बिना, नए मामले के आधार पर दोषसिद्धि और दंडादेश विधि के तहत पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी और मेसर्स एस.एस. दिल्ली एंड कंपनी के अन्य साझेदारों को झूठा फंसाने के उद्देश्य से, दिनांक 20-3-80 के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, यह दिखाते हुए कि यह दिनांक 19-3-80 को दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन की सूचना मजिस्ट्रेट को नहीं दी गई है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'द संहिता') की धारा 157 के तहत आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने संहिता की धारा 157 के प्रावधानों के अनुपालन के समर्थन में झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों ने सुरता सिंह के घर और ग्रीन होटल में भी षड्यंत्र रचा, लेकिन अभियोजन पक्ष ने किसी भी षड्यंत्र को साबित करने के लिए किसी साक्षी का परीक्षण नहीं किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहम्मद अजीज, हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की और अवतार सिंह ट्रक में बैठे थे, ट्रक को मोहम्मद अजीज चला रहा था, जिसने शेवरले कार को टक्कर मार दी और श्रीमती स्वदेश नीलम सहित व्यक्तियों को गंभीर चोटें पहुंचाई, जिनकी तत्काल मृत्यु हो गई। ट्रक द्वारा शेवरले कार को टक्कर मारने के बाद, अवतार सिंह ने ट्रक से छलांग लगाई और इस गलत धारणा के तहत दो गोलियां चलाई कि निरंकारी प्रमुख बाबा



गुरुबचन सिंह उक्त कार में बैठे हैं लेकिन अभियोजन पक्ष के साक्षियों, विशेष रूप से डॉक्टर ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु ट्रक द्वारा कार को टक्कर मारने के कारण हुई घातक चोट के परिणामस्वरूप हुई थी, न कि किसी बंदूक की गोली के परिणामस्वरूप और उस समय ट्रक को मोहम्मद अजीज चला रहा था, इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी अवतार सिंह को श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस धारणा और एक नया मामला बनाकर दोषसिद्ध किया है कि अवतार सिंह के साथ ट्रक में बैठे दो अज्ञात व्यक्तियों ने समान आशय साझा किए और दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो ट्रक चला रहा था, ने कार को जबरदस्ती टक्कर मार दी, और टक्कर से लगी चोट के परिणामस्वरूप श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु हो गई। लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला ऐसा नहीं था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने अवतार सिंह को घटनास्थल पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया था और राइफल छीनने के बाद, पुलिस ने न तो अवतार सिंह और न ही राइफल को पुलिस थाना मोहन नगर, दुर्ग या भिलाई, जहाँ पुलिस अधिकारी पी.के. वर्मा (अ.सा.-56), थाना प्रभारी और भजन सिंह (अ.सा.-1) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, में प्रस्तुत किया। दोनों व्यक्तियों, पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) और भजन सिंह (अ.सा.-1) ने यह भी नहीं बताया कि अवतार सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया था और पुलिस अधिकारी उदयरज दुबे (अ.सा.-35) ने उनकी राइफल छीन ली थी।

13. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने तर्क दिया कि यह तथ्य दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी अवतार सिंह और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण साक्ष्य गढ़े हैं। कथित राइफल द्वारा खाली कारतूसों का उपयोग नहीं किया गया है और बचाव पक्ष ने विचारण न्यायालय में उक्त आग्नेयास्त्र द्वारा जीवित कारतूसों का उपयोग करने और इस प्रकार उपयोग किए गए कारतूसों के साथ खाली कारतूसों की जांच करने के लिए आवेदन किया है, ताकि परीक्षण के दौरान विशेषज्ञ द्वारा इस तथ्य को साबित किया जा सके कि जब्त किए गए कथित खाली कारतूस राइफल द्वारा प्रयोग/फायर किए



गए हैं या नहीं, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अत्यधिक विरोध किया गया और न्यायालय ने ऐसी जांच/साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर से इनकार कर दिया है, जिससे अपीलार्थी को गंभीर नुकसान हुआ है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस तरह के आवेदन के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि राइफल की जांच परीक्षण के दौरान किया गया था और विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच की गई थी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी को सामान्य आशय से हत्या के आरोप या हत्या करने के प्रयास के आरोप के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और श्रीमती स्वदेश नीलम की हत्या के लिए मानव वध का आरोप अपीलार्थी के विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत तैयार किया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है, जिसके लिए न्यायालय सक्षम नहीं था।

14. निजी पक्ष भजन सिंह और प्रीतम सिंह ने पहले दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 342/1983 प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलार्थी अवतार सिंह को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत हत्या के मूल आरोप से बरी करने और अन्य अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों से बरी करने को चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 9-12-1987 के आदेश के तहत आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी और मामले को अपीलार्थी अवतार सिंह के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत हत्या के मूल आरोप और बरी किए गए अभियुक्त मोहम्मद के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ धारा 302 और 307 के तहत आरोप के लिए पुनः परीक्षण के लिए वापस भेज दिया गया था। अजीज और हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की के विरुद्ध दांडिक अपील क्रमांक 428/89 में अवतार सिंह और अन्य तथा दांडिक अपील क्रमांक 738/91 में हरेंद्र सिंह और अन्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी अवतार सिंह द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 90/83 (वर्तमान दांडिक अपील) में दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील के लंबित रहने के दौरान, निर्णय को अभिखण्डित किए बिना पुनः सुनवाई का आदेश संविधिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपीलें स्वीकार कर लीं कि विचारण न्यायालय के निर्णय को अभिखण्डित



किए बिना पुनः सुनवाई का आदेश विधिसम्मत नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से दायर अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को आरोप से बरी कर दिया गया है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि में बाद में संशोधन करना विधिक रूप से संभव नहीं होगा।

15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **प्रीतम सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य¹** के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कुछ आरोपों से अभियुक्तों को बरी करना सभी अनुवर्ती कार्यवाहियों में बाध्यकारी है और पूर्व न्याय का सिद्धांत दांडिक मामलों में भी लागू होता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे **अमृतलाल रतिलाल मेहता एवं एक अन्य बनाम गुजरात राज्य²** के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रारंभिक चरण में तथ्यों का निष्कर्ष अंतिम रूप प्राप्त कर लेना उसी मामले में बाद के चरण में बाध्यकारी और निर्णायक होता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **देवीलाल एवं एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य³** के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष के मूल उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया जाता है तो बचाव पक्ष को खतरे में डालने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा नया मामला नहीं बनाया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **लक्ष्मी सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य⁴** के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि साक्षी पांच निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की हद तक जा सकते हैं, तो अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा और अभियोजन पक्ष के मामले के मूलभूत भाग पर अविश्वास करना होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे **प्रभु बाबाजी नवले बनाम बॉम्बे राज्य⁵** के मामले का अवलंब लिया

1 AIR 1956 SC 415

2 AIR 1980 SC 301

3 AIR 1971 SC 1444

4 AIR 1976 SC 2263

5 AIR 1956 SC 51



जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वास्तविक हत्यारे के साथ समान आशय के अभाव में, अन्य अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **सुखराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य**⁶ के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक अभियुक्त को लाभ दिए जाने की स्थिति में अन्य अभियुक्त भी उसी लाभ के हकदार हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **सावल दास बनाम बिहार राज्य**⁷ के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि तीन में से दो अभियुक्तगण को समान आशय से हत्या के आरोप से बरी कर दिया जाता है, तो तीसरा भी बरी होने का हकदार है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **शेख करीमुल्लाह @ बाबू और अन्य बनाम ए.पी. राज्य**⁸ के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भा.दं.सं. की धारा 34 के तहत विशिष्ट आरोप के अभाव में भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्धि संभव नहीं होगी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **बुध सिंह और अन्य बनाम यू.पी. राज्य**⁹ के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दांडिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट., विशेष रूप से हत्या के मामले में, विचारण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की विवेचना के उद्देश्य से साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भाग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की समय पर सूचना संहिता की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट इस बात की जांच है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व तिथि की नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **सेवी एवं एक अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य**¹⁰ के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट को दबा देने और उसकी जगह दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा न्यायालय के निर्देश के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुस्तिका न्यायालय में प्रस्तुत न करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट दबा दी गई थी और अभियोजन पक्ष

6 AIR 1989 SC 772

7 AIR 1974 SC 778

8 AIR 2009 SC 1711

9 (2006) 9 SCC 731

10 AIR 1981 SC 1230



का मामला संदिग्ध हो जाता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **गब्बू बी. लोधी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**¹¹ के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को समय पर सूचना न देने से यह संदेह पैदा होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व तिथि की लिखी गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **भद्रन बनाम केरल राज्य**¹² मामले का भी अवलंब लिया जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को बचाव का अवसर न देना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **मजीदखान बनाम कर्नाटक राज्य**¹³ मामले का अवलंब लिया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को बचाव का अवसर न देना हमेशा घातक नहीं होता है यदि अभियुक्त को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया हो।

16. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने अपील का पुरजोर विरोध किया और कहा कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उचित रूप से दोषसिद्ध कर दंडित किया है और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या के आशय से श्रीमती स्वदेश नीलम की हत्या की है, इस तरह, उसका कृत्य भा.दं.सं. की धारा 301 के अनुसार भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय है। विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि भजन सिंह (अ.सा. -1), प्रीतम सिंह (अ.सा. -2), उदयरज दुबे (अ.सा. -35), कृष्ण मुरारी (अ.सा. -37), बलवीर सिंह (अ.सा. -38), गुरुबखश सिंह (अ.सा. -42), अमर सिंह (अ.सा. -45), इंद्रजीत सिंह (अ.सा. -54), पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) और लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-60) ने स्पष्ट रूप से अभिकथन दिया है और अभियोजन पक्ष के मामले को साबित किया है। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने श्रीमती स्वदेश नीलम की हत्या की है, जो निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या के आशय से की गई हत्या के बराबर है। उपरोक्त साक्षियों ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे,

11 2004 Cri. L.J. 2001

12 993 Cri. L.J. 1966

13 1993 (2) Crimes 1036



इस तथ्य को भी साबित किया है कि अपीलार्थी ने आयुध अधिनियम की धारा 28 के तहत अपराध कारित किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर एवं अन्य**¹⁴ के मामले का अवलंब लिया है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वरिष्ठ न्यायालयों को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध कठोर टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **अनिल शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य**¹⁵ मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भेजने में देरी ही यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व निर्धारित समय से पहले दर्ज की गई थी। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **बिकऊ पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**¹⁶ मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के मामले में जांच में अनियमितता या अवैधता का संहिता की धारा 157 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना भेजने से भी कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि संदेह का लाभ देने के बाद कुछ अभियुक्तों को बरी करने का निर्णय उन अन्य अभियुक्तों पर लागू नहीं किया जा सकता जिनकी अपराध में उपस्थिति और भागीदारी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित हो।

17. वर्तमान प्रकरण में, सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा संहिता की धारा 193 में निहित प्रावधानों के अनुसार उन्हें सौंपे गए मामले के आधार पर संज्ञान लिया है। तत्पश्चात, दोनों सत्र परीक्षण सत्र न्यायाधीश, मंडला के न्यायालय में एम.सीआर.सी. क्रमांक 1262 में पारित आदेश दिनांक 7-10-80 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा एम.सीआर.सी. क्रमांक 1436 में पारित संशोधित आदेश दिनांक 17-11-80 द्वारा स्थानांतरित कर दिए गए और अंततः, दोनों सत्र विचारण का सत्र न्यायाधीश, मंडला द्वारा परीक्षण और निर्णय किया गया। दोनों सत्र परीक्षण सत्र खण्ड, दुर्ग के क्षेत्राधिकार से संबंधित थे। तथापि, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

14 (2000) 8 SCC 382

15 AIR 2004 SC 2294

16 (2003) 12 SCC 616



(क्रमांक 28 सन् 2000) के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और नए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 30 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार इस अपील को इस न्यायालय में स्थानांतरित किया है, जो इस प्रकार है:-

"30. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को कार्यवाही का स्थानांतरण।-(1) इसमें आगे जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को, नियत दिन से, स्थानांतरित क्षेत्र के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

(2) नियत तिथि के ठीक पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस दिन के पूर्व या पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के स्थान और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य और विनिश्चित की गई कार्यवाहियां हैं, ऐसे प्रमाणन के पश्चात यथाशीघ्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को अंतरित कर दी जाएंगी।"

18. निजी पक्ष भजन सिंह और प्रीतम सिंह ने दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 342/1983 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपीलार्थी अवतार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत बरी करने और अन्य सह-अभियुक्तों को बरी करने को चुनौती दी थी और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 9-12-1987 के आदेश के तहत अपीलार्थी अवतार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत और अन्य सह-अभियुक्तों मोहम्मद अजीज और हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 और 307 सहपठित धारा 34 के तहत बरी करने के निर्णय को खारिज कर दिया था। दिनांक 9-12-1987 के आदेश के कंडिका 1 और 53 इस प्रकार हैं: -

"1- यह पुनरीक्षण याचिका शिकायतकर्ता भजन सिंह और प्रीतम सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें अनावेदक क्रमांक 1 अवतार सिंह को धारा 302



भा.दं.सं. के तहत हत्या के मूल आरोप से और अन्य अनावेदकों को धारा 120-ख, 307/34, 302/111 या 302/34 भा.दं.सं. के तहत आरोपों से बरी किए जाने को चुनौती दी गई है।

53- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401(3) के तहत सीमित शक्तियों के अनुसार, हम अभियुक्त/अनावेदक अवतार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मूल आरोप से बरी करने के निर्णय को अपास्त करते हैं। हम अजीज मोहम्मद और हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्क को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 307/34 के तहत आरोपों से बरी करने के निर्णय को भी अपास्त करते हैं। शेष अभियुक्तगण/अनावेदकों को बरी करने के विरुद्ध पुनरीक्षण खारिज किया जाता है। अभियुक्त/अनावेदक अवतार सिंह, अजीज मोहम्मद और हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों के लिए मामला सत्र न्यायाधीश, मंडला को वापस भेजा जाता है। इन अभियुक्तगण/अनावेदकों को अपने विचारण की नए सिरे से सुनवाई के लिए दिनांक 9.1.1988 को सत्र न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

19. दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 342/1983 में पारित दिनांक 9-12-1987 के आदेश को दांडिक अपील क्रमांक 428/89 और 738/91 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर आदेश को अपास्त कर दिया था कि विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किए बिना पुनः विचारण का आदेश नहीं दिया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-11-1997 को पारित निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है,

"अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किए बिना पुनर्विचार का आदेश नहीं दिया जा सकता था। चूँकि अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा दायर अपील उच्च न्यायालय में लंबित है,



इसलिए हम इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहते कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है। चूँकि विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किए बिना पुनर्विचार का आदेश नहीं दिया जा सकता था, केवल इसी संक्षिप्त आधार पर, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं।"

इस आदेश के अनुसार, अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 738/91 मान्य नहीं रहेगी। दोनों अपीलों का निराकरण किया जाता है।"

20. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के प्रत्यक्ष और दस्तावेजी तर्कों को समझने के लिए, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्कों का परीक्षण किया जाता है।

21. अपीलार्थी ने मृतका श्रीमती स्वदेश नीलम की मानववध प्रकृति से हुई मृत्यु का कोई ठोस विरोध नहीं किया है, दूसरी ओर, यह डॉ. डी.के. अग्रवाल (अ.सा.-12) के साक्ष्य और शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-21 द्वारा स्थापित किया गया है। डॉ. डी.के. अग्रवाल (अभि.सा.-12) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 19-3-1980 को श्रीमती स्वदेश नीलम का शव पुलिस द्वारा शव-परीक्षण के लिए लाया गया था। उन्होंने दिनांक 20-3-1980 को लगभग 11.45 पूर्वाह्न पर शव-परीक्षण किया और इस निर्णय के कंडिका 5 में उल्लिखित चोटें पाईं। अपने साक्ष्य के कंडिका 8 में, उन्होंने विशेष रूप से यह कहा है कि श्रीमती स्वदेश नीलम के शरीर पर पाई गई चोटें सामान्य प्रकृति में उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

22. अभियोजन पक्ष का मामला भजन सिंह (अ.सा.-1), प्रीतम सिंह (अ.सा.-2), उदयराज दुबे (अ.सा.-35), अमर सिंह (अ.सा.-45), पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) के प्रत्यक्ष साक्ष्य, डॉ. डी.के. अग्रवाल (अ.सा.-12) के चिकित्सीय साक्ष्य और शव-परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-21 पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर निर्णय को चुनौती दी गई है: -

(क) संहिता की धारा 157 के प्रावधानों का अनुपालन न करना, जिसके अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट को समय से पूर्व दर्ज किया जाना चाहिए;



- (ख) अपीलार्थी की पहचान से संबंधित विवाद;
- (ग) पुलिस थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में अपीलार्थी की उपस्थिति और उदयरज दुबे (अ.सा.-35) द्वारा अपीलार्थी से राइफल छीनने का उल्लेख न होना;
- (घ) घटनास्थल पर मिली चप्पलों की पहचान न होना;
- (ङ) चिकित्सीय और नेत्र संबंधी साक्ष्यों के बीच विरोधाभास;
- (च) विचारण न्यायालय द्वारा एक नया मामला बनाना जो विधि के तहत अनुमेय नहीं है; और
- (छ) विचारण के दौरान हथियार का पुनः परीक्षण करके बचाव पक्ष को प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित करना।

23. प्रश्नाधीन अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने भजन सिंह (अ.सा.-1) को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित किया है।

24. भजन सिंह (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन दिया है कि वह अपीलार्थी अवतार सिंह सहित सभी अभियुक्तों को जानता है। अभियुक्त सुरता सिंह उसके घर के सामने रहता था। घटना के दिन निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह उसके घर में ठहरे थे। सभी अभियुक्त सुरता सिंह के घर पर उपस्थित थे और वे अकाली दल के सदस्य हैं। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों की गतिविधियों को देखते हुए, उन्हें संदेह था कि अभियुक्त निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस की सहायता ली। जब वे सत्संग भवन का शिलान्यास करने जा रहे थे, निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह प्रीतम सिंह के साथ काले रंग की मर्सिडीज कार में बैठे थे। जब वे घटनास्थल के पास पहुंचे तो उन्होंने एक ट्रक खड़ा देखा, उसका इंजन चालू था, अपीलार्थी ट्रक के अंदर दो अन्य व्यक्तियों हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की और एक चालक के साथ बैठा था। अचानक, ट्रक ने पूरी ताकत से शेवरले कार को टक्कर मार दी और कार क्षतिग्रस्त हो गई। तुरंत, अपीलार्थी अवतार सिंह ट्रक से कूद गया और शेवरले कार पर दो बार फायरिंग की, और कॉलेज हॉस्टल की ओर भागा, वह पुलिस कर्मियों पर अपनी राइफल से फायरिंग कर रहा



था और अंत में उसे पुलिस अधिकारी ने उसकी राइफल के साथ पकड़ लिया। शेवरले कार में बैठी श्रीमती स्वदेश नीलम गंभीर रूप से घायल हो गई, उनके सिर से रक्त बह रहा था और कार का दरवाजा खुला हुआ था। घटना के समय, जिस मर्सिडीज कार में निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह बैठे थे, वह दुर्ग की ओर जा रही थी। शेवरले कार में बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आईं और उन्हें जीप से अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने पुलिस थाना मोहन नगर, दुर्ग में प्र.पी-5 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

25. निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह के साथ बैठे प्रीतम सिंह (अ.सा.-2) ने भजन सिंह (अ.सा.-1) के साक्ष्य की पुष्टि की है। घटना के तुरंत बाद, मर्सिडीज कार का चालक कार मोड़कर दुर्ग की ओर वापस चला गया।

26. अमर सिंह (अ.सा.-45) शेवरले कार में बैठे थे। उन्होंने अपने अभिकथन में कहा है कि घटना के समय वह शेवरले कार चला रहे थे, गुरुबखश सिंह और जोगेंदर सिंह पुरी उनके बगल वाली सीट पर बैठे थे; मनमोहन सिंह, मृतक स्वदेश नीलम, माता मान कौर और गुरुप्रकाश सिंह बीच वाली सीट पर बैठे थे; अनुराग तन्हा, विमल कैलाश, हरिमोहन शर्मा और नरसिंह पिछली सीट/आखिरी सीट पर बैठे थे। निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह और अन्य लोग मर्सिडीज कार में बैठे थे। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के समय ट्रक ने उनकी कार को जोर से टक्कर मारी, ट्रक के अंदर तीन व्यक्ति बैठे थे, राइफल लिए एक व्यक्ति ट्रक से कूदा और शेवरले कार पर 7-8 गज की दूरी से राइफल से दो बार गोली चलाई, तुरंत उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया, पहली गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई और दूसरी गोली श्रीमती स्वदेश नीलम को लगी और गोली लगने के कारण वह कार के अंदर गिर गई। राइफल से गोली चलाने वाले व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने यह भी बताया कि शेवरले कार में बैठे अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं और कार का दाहिना हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। श्रीमती स्वदेश नीलम की कार के अंदर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने घायलों को चिकित्सालय पहुँचाया।



27. उदयराज दुबे (अ.सा.-35), सहायक उपनिरीक्षक, ने अभिकथन दिया है कि वह निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह के जुलूस के साथ थे और उन्हें पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) के साथ निरंकारी प्रमुख की सुरक्षा के लिए पदस्थ किया गया था। उन्होंने आगे अभिकथन दिया है कि ट्रक ने शेवरले कार को टक्कर मार दी, अपीलार्थी अवतार सिंह कूद गए और कार पर दो बार गोलीबारी की, उस समय, कुक्की और मोहम्मद अजीज भी ट्रक से कूद गए और भाग गए। उन्होंने यह भी अभिकथन दिया है कि उन्होंने अपीलार्थी अवतार सिंह का पीछा किया, जिसने पुलिस दल पर गोलीबारी की और अंततः उन्होंने अपीलार्थी अवतार सिंह को पकड़ लिया। उन्होंने अपीलार्थी से राइफल छीन ली।

28. पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) ने अपने साक्ष्य में अभिकथन दिया है कि उन्हें निरंकारी प्रमुख की सुरक्षा के लिए पदस्थ किया गया था, वे भिलाई की ओर बढ़ रहे थे और घटना के समय ट्रक ने शेवरले कार को टक्कर मार दी। अपीलार्थी अवतार सिंह ट्रक से कूदकर शेवरले कार की ओर गया, उसके हाथ में राइफल थी और उसने कार पर दो बार गोली चलाई। उसने आगे अभिकथन दिया है कि उसने अवतार सिंह को चुनौती दी, जिस पर अभियुक्त कुक्की और मोहम्मद अजीज ट्रक से कूदकर भाग गए। उन्होंने अवतार सिंह का पीछा किया, जिसने उन्हें चुनौती दी और पुलिस दल पर गोलीबारी की, लेकिन अंततः उन्होंने अपीलार्थी अवतार सिंह को राइफल सहित पकड़ लिया और उदयराज दुबे ने राइफल छीन ली।

29. बचाव पक्ष ने इन साक्षियों से विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है। इन सभी साक्षियों ने विशेष रूप से यह अभिकथन दिया है कि अवतार सिंह ट्रक से कूद गया और शेवरले कार पर दो फायर करने के बाद घटनास्थल से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया। भजन सिंह (अ.सा.-1) और पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) द्वारा क्रमशः दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र पी-5 और पी-9) दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अवतार सिंह को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया और उदयराज दुबे (अ.सा.-35) ने उसकी राइफल छीन ली, इन दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। भजन सिंह (अ.सा.-1) की विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया जिसमें, उसने कंडिका 76 में यह



अभिकथन दिया है कि उसने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन यह प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।

30. पी.के. वर्मा (अ.सा.-56), जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है, ने अपने साक्ष्य के कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उन्होंने अपीलार्थी अवतार सिंह को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे अभिरक्षा में लिया है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 66, 67, 68, 69 और 70 में, उन्होंने यह अभिकथन दिया है कि अवतार सिंह को गिरफ्तार करना उनका दायित्व था, लेकिन उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि केवल अभिरक्षा में लिया।

31. उदयरज दुबे (अ.सा.-35), जिन्होंने आरक्षक कृष्ण मुरारी (अ.सा.-37) की सहायता से अपीलार्थी अवतार सिंह को पकड़ा और राइफल छीन ली, ने अपने साक्ष्य के कंडिका 13 में यह अभिकथन दिया है कि वह अवतार सिंह को जीप में अपने साथ पुलिस थाना ले गए, जहाँ उन्होंने अवतार सिंह को ड्यूटी पर पदस्थ पुलिसकर्मियों को सौंप दिया। उन्होंने कंडिका 14 में यह भी अभिकथन दिया है कि पुलिस अभिलेख में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है जिससे पता चले कि उन्होंने अपीलार्थी अवतार सिंह को मोहन नगर पुलिस को सौंपा था। उन्होंने यह भी अभिकथन दिया है कि राइफल छीनने के बाद प्र.पी-20 के तहत जब्त होने तक यह उनके पास थी।

32. बचाव पक्ष ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि अपीलार्थी ऐसे अपराध के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, उसकी पहचान बेहद विवादित है, उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति का समर्थन पुलिस थाने में दर्ज/दर्ज किए जाने वाले प्रथम सूचना रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों से नहीं मिलता, यहाँ तक कि अपीलार्थी से राइफल छीनने का तथ्य भी प्रथम सूचना रिपोर्ट और थाने के अन्य दस्तावेजों से समर्थित नहीं है। पुलिस अधिकारियों का दायित्व था कि वे राइफल छीनने, बरामदगी और दांडिक मामले के हथियारों को थाने में जमा करने के तथ्यों का उल्लेख लाल स्याही से करें, लेकिन ऐसी प्रविष्टि पुलिस थाने के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

33. अपीलार्थी की पहचान के प्रश्न के संबंध में, भजन सिंह (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 37 और 38 में यह अभिकथन दिया है कि वह यह नहीं बता सकते कि



अपीलार्थी ने किस रंग और किस प्रकार की पगड़ी पहनी हुई थी। अपीलार्थी को पकड़ते समय उसकी पगड़ी गिर गई थी, उसके सामने चप्पलें जब्त की गईं, लेकिन पगड़ी जब्त नहीं की गई। प्रीतम सिंह (अ.सा.-2) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 72 में यह अभिकथन दिया है कि अपीलार्थी अवतार सिंह पगड़ी पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी छोटी थी। दयाराज दुबे (अ.सा.-35) जिन्होंने अपीलार्थी को पकड़ा है, ने अपने साक्ष्य के कंडिका 39 में कहा है कि अपीलार्थी अवतार सिंह ने पगड़ी और कोट नहीं पहना हुआ था।

34. वर्तमान मामले में, दाढ़ी के आकार, पगड़ी के रंग और विशिष्टता और पगड़ी की जब्ती न होने के आधार पर, बचाव पक्ष ने अपीलार्थी की पहचान पर विवाद करने की कोशिश की है, हालांकि, भजन सिंह (अ.सा. -1) और प्रीतम सिंह (अ.सा. -2), मालवीय नगर, दुर्ग के निवासियों ने विशेष रूप से अभिकथन दिया है कि वे अपीलार्थी अवतार सिंह को जानते हैं, जिनके ससुर उनके घर के सामने रहते हैं और वह मेसर्स एसएस डिल्लन एंड कंपनी के साझेदार थे। उन्होंने आगे अभिकथन दिया है कि अपीलार्थी उनके लिए अजनबी नहीं था, समय बीतने के बाद और जिस तरह से घटना हुई, व्यक्तियों के लिए यह स्पष्ट करना संभव नहीं था कि घटना के समय, अपीलार्थी ने किस रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, उसकी दाढ़ी का आकार क्या था और उसके कपड़ों का रंग क्या था। यह वह मामला नहीं है जहां अपीलार्थी की पहचान उसके विवरण के आधार पर की गई है और वह साक्षियों के लिए अज्ञात था। अपीलार्थी मदिरा के ठेके का कारोबार करता था और सबसे बड़े मदिरा ठेकेदार सुरता सिंह से जुड़ा हुआ था। पुलिस कर्मी उदयराज दुबे (अ.सा.-35) और पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) भी घटना से पहले अपीलार्थी को जानते थे। उन्होंने यह अभिकथन नहीं दिया है कि उन्होंने व्यक्ति को पकड़ा और बाद में उन्हें अपीलार्थी का नाम पता चला, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन दिया है कि उन्होंने अपीलार्थी अवतार सिंह को पकड़ा और गिरफ्तार किया है। इन सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन दिया है कि अपीलार्थी अवतार सिंह ने ट्रक से कूदकर अपराध किया, पुलिस ने अपीलार्थी अवतार सिंह का पीछा किया, उसे पकड़ा और गिरफ्तार किया। यहां तक कि उदयराज दुबे (अ.सा.-35) ने भी यह अभिकथन दिया है कि उसने अपीलार्थी से राइफल छीनी है और



उसे जीप में ले गया है। इसलिए, अपीलार्थी की पगड़ी और दाढ़ी के विवरण से संबंधित साक्ष्य में किसी भी विसंगति का कोई महत्व नहीं होगा।

35. बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19-3-1980 को प्र.पी-5 और पी-9 के माध्यम से भजन सिंह (अ.सा.-1) और पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि यह दिनांक 20-3-1980 या 21-3-1980 को लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत संहिता की धारा 157 के तहत सूचना नहीं भेजी है। तत्कालीन सी.जे.एम., बिलासपुर वी.जे. बराडपांडे (ब.सा.-15) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 27-3-80 को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के निरीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया है, जो प्र.डी-35 के माध्यम से न्यायालय को भेजी गई थी और उन्होंने प्र.डी-36 के माध्यम से आदेश पत्रक दर्ज की है, लेकिन दिनांक 27-3-80 तक उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना नहीं मिली है। हुसैन खान (ब.सा.-16), लिपिक ने भी यह साक्ष्य दिया है कि उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना नहीं मिली है और उन्होंने यह भी साक्ष्य दिया है कि उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना प्राप्त होने से संबंधित अनुच्छेद 'वाई' और 'टी' पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। डी.आर. देवांगन (ब.सा.-17) ने भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि की है।

36. जैसा कि बुध सिंह, सेवी, गब्बू, अनिल शर्मा और बिकाऊ पांडे (पूर्वोक्त) के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि पुलिस थाने द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को धारा 157 के तहत सूचना तुरंत नहीं भेजी गई है, तो यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय के बारे में संदेह पैदा करता है और यदि इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक हो सकता है, हालाँकि, यदि इसका स्पष्टीकरण तभी दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को सूचना भेजने में कोई अनियमितता या अवैधता अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है। हालाँकि, केवल उपरोक्त आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, केवल साक्ष्य की सूक्ष्म जांच की आवश्यकता होगी।

37. अपीलार्थी ने विशिष्ट बचाव में कहा है कि दिनांक 19-3-1980 को वह अपना नियमित कार्य समाप्त करने के बाद शाम 6 बजे अपने घर गया, लगभग 8 बजे एक आरक्षक



उसके पास आया और बताया कि उसे कोतवाली पुलिस, दुर्ग द्वारा बुलाया गया है, जिस पर वह वहां गया, लेकिन वहां उपस्थित मुख्य आरक्षक ने उसे बताया कि उसे नहीं बुलाया गया है, जिस पर वह अपने घर आया और दूसरे दिन फिर एक आरक्षक आया और उसे राइफल के साथ बुलाया, जब वह पुलिस थाना दुर्ग गया, तो उसे पकड़ लिया गया और उसकी राइफल भी पुलिस द्वारा ले ली गई। वर्तमान मामले में, घटना दिनांक 19-3-1980 को लगभग 5 बजे हुई, यहां तक कि बचाव पक्ष के मामले में अपीलार्थी को उसी दिन लगभग 8 बजे पुलिस ने बुलाया था, अर्थात् रिपोर्ट दर्ज होने के दो घंटे के भीतर और घटना के तीन घंटे के भीतर, और अंततः दूसरे दिन अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तथ्य को पुष्ट करता है। इसलिए, धारा 157 के तहत सूचना भेजने में कोई अनियमितता या अवैधता, या ऐसी सूचना न भेजना भी, वर्तमान मामले में कोई मायने नहीं रखता।

38. अपीलार्थी ने राइफल का परीक्षण/दोबारा जांच के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका अभियोजन पक्ष ने कड़ा विरोध किया और अंततः विचारण न्यायालय ने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अपीलार्थी ने वरिष्ठ न्यायालयों के सम्मिलन में कोई भी अपील नहीं की है या कहा गया है कि आदेश को चुनौती नहीं दी गई है और इस तरह की चुनौती के उल्लंघन में उक्त आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रीतम सिंह और अमृतलाल (पूर्वोक्त) के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, उक्त निष्कर्ष अपीलार्थी के लिए बाध्यकारी है। भद्रन और मजीदखान (पूर्वोक्त) के मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्तों को बचाव का अवसर देने से इनकार करना आमतौर पर अभियोजन पक्ष के लिए घातक होता है। लेकिन वर्तमान मामले में राइफल के पुनः परीक्षण से पर्याप्त समय बीत जाने के बाद विचारण न्यायालय ने इनकार कर दिया है, हालाँकि, बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षण का अवसर उपलब्ध था। इसलिए, वर्तमान मामले में, राइफल की जांच न करने से भी बचाव पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।



39. अभियोजन पक्ष का मामला चक्षुदर्शी साक्षी भजन सिंह (अ.सा.-1), प्रीतम सिंह (अ.सा.-2), उदयराज दुबे (अ.सा.-35), अमर सिंह (अ.सा.-45) शेवरले कार के चालक और पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) के अभिकथन पर आधारित है। बचाव पक्ष ने भजन सिंह (अ.सा.-1) से विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है और लगभग 104 कंडिका और 39 पृष्ठों की अपनी विस्तृत साक्ष्य में इस साक्षी ने विशेष रूप से यह अभिकथन दिया है कि अपीलार्थी वह व्यक्ति है जो ट्रक के अंदर बैठा था और ट्रक द्वारा शेवरले कार को टक्कर मारने के बाद वह राइफल लेकर कूद गया और शेवरले कार पर दो बार गोली चलाई। प्रीतम सिंह (अ.सा.-2) ने भजन सिंह (अ.सा.-1) के अभिकथन की पुष्टि की है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से भी विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है और लगभग 92 कंडिका और 33 पृष्ठों की अपनी विस्तृत साक्ष्य में उसने विशेष रूप से यह अभिकथन दिया है कि अपीलार्थी, जिसे वह जानता है कि वह ट्रक में बैठा था, ट्रक से कूद गया और अपनी राइफल से दो बार गोली चलाई। उदयराज दुबे (अ.सा.-35) और पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) ने भी अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में भजन सिंह (अ.सा.-1) और प्रीतम सिंह (अ.सा.-2) के साक्ष्यों की पुष्टि की है।

40. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अमर सिंह (अ.सा.-45) का भी परीक्षण किया, जो दुर्ग का निवासी नहीं है, बल्कि दिल्ली का निवासी था और निरंकारी मंडल में चालक के रूप में कार्यरत था। घटना के दिन वह शेवरले कार चला रहा था। उसने कार में बैठे व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से अभिकथन दिया है। उसने अभिकथन दिया है कि घटना के समय उसकी कार ट्रक से टकरा गई थी, जिसके बाद एक व्यक्ति ट्रक से कूदा और कार पर दो बार गोली चलाई, उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया, एक गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई और दूसरी गोली श्रीमती स्वदेश नीलम के सिर के ऊपर लगी, जिससे वह कार के अंदर गिर गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पुलिसकर्मियों ने उस व्यक्ति का पीछा किया और उस व्यक्ति ने भी पुलिस दल पर गोलीबारी की। उन्होंने स्वीकार किया कि कार में बैठे अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं।



41. अमर सिंह (अ.सा.-45) एक स्वतंत्र साक्षी है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन दिया है कि ट्रक द्वारा उसकी कार को टक्कर मारने के बाद, एक व्यक्ति ट्रक से कूदा और उसकी कार पर दो बार गोली चलाई, दूसरी गोली श्रीमती स्वदेश नीलम के सिर के ऊपर लगी। उसने यह भी अभिकथन दिया है कि श्रीमती स्वदेश नीलम को छोड़कर कार के अंदर बैठे अन्य सभी व्यक्ति, जिनकी संख्या स्वयं उसे मिलाकर दस थी, को कोई गंभीर या संगीन चोट नहीं आई है। उसने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन दिया है कि उस व्यक्ति ने 7-8 गज की दूरी से गोली चलाई थी। अमर सिंह (अ.सा.-45) वह साक्षी है जो कार के अंदर बैठा था और उसने घटना को नजदीक से देखा था। वह घायल साक्षी है और उसने विस्तार से यह अभिकथन दिया है कि श्रीमती स्वदेश नीलम को छोड़कर किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है और श्रीमती स्वदेश नीलम को राइफल से गोली चलने के परिणामस्वरूप चोट लगी थी।

42. वर्तमान मामले में, भजन सिंह (अ.सा.-1), उदयराज दुबे (अ.सा.-35) और पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवतार सिंह का नाम नहीं लिखा है या पुलिस ने दोनों पुलिस थानों के किसी अन्य दस्तावेज या अभिलेख में अवतार सिंह का नाम और राइफल की जब्ती का उल्लेख नहीं किया है और पुलिस ने दिनांक 19-3-1980 को अवतार सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अभिकथन दिया है कि पुलिस ने अपीलार्थी अवतार सिंह को घटनास्थल पर पकड़ा था, वे उसे जीप में ले गए और उदयराज दुबे (अ.सा.-35) ने अवतार सिंह से राइफल छीन ली, जिसे अंततः उसने प्र.पी-20 के तहत दिनांक 19-3-1980 को रात्रि 8 बजे जब्त कर लिया। अपीलार्थी अवतार सिंह की दिनांक 19-3-1980 को रात 8 बजे पुलिस थाना मोहन नगर, दुर्ग में उपस्थिति को अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा, अपीलार्थी ने यह बचाव किया है कि उसे पुलिस ने बुलाया था। यह वह मामला नहीं है जिसमें घटना के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने अपीलार्थी से पूछताछ की हो या उससे कोई वस्तु जब्त की हो। यदि अपीलार्थी का बचाव स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो यह प्रकट होगा कि अपीलार्थी को उसी दिन लगभग रात 8 बजे पुलिस थाना दुर्ग द्वारा बुलाया गया था, जो



किसी रिपोर्ट के अभाव में संभव नहीं था। अपीलार्थी का बचाव इस तथ्य का सूचक है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसे समय पर दर्ज किया गया था, जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है।

43. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उस घटना दिवस, निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ एक जुलूस में भिलाई जा रहे थे और घटना के बाद, सार्वजनिक शांति भंग होना स्वाभाविक था, एक महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और दस अन्य लोग घायल हो गए, कुछ लोग घटनास्थल से भाग गए। इन परिस्थितियों में, तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, दस्तावेज तुरंत तैयार करना, राइफल तुरंत ज़ब्त करना और तत्काल कार्यवाही करना संभव नहीं था, लेकिन स्वयं को और पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए, राइफल छीनना और राइफल को अपने अभिरक्षा में लेना ज़रूरी था। राइफल छीनना पुलिस अधिकारी का स्वाभाविक आचरण था।

44. बेशक, अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट या पुलिस थाना के किसी अन्य दस्तावेज में नहीं लिखा गया है, लेकिन भजन सिंह (अ.सा.-1), प्रीतम सिंह (अ.सा.-2), उदयराज दुबे (अ.सा.-35) और अमर सिंह (अ.सा.-45) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि अपीलार्थी ट्रक से कूद गया था, उसे घटनास्थल पर रंगे हाथों पकड़ा गया था और उदयराज दुबे (अ.सा.-35) ने उसका हथियार छीन लिया था। उपरोक्त साक्ष्य के आलोक में, केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों में नहीं लिखा गया है, इन साक्षियों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता।

45. विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि मृतक की मृत्यु ट्रक द्वारा कार को टक्कर मारने से लगी चोट के परिणामस्वरूप हुई थी और अपीलार्थी और ट्रक में बैठे अन्य व्यक्तियों ने समान आशय से यह टक्कर मारी थी। सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत सिद्धदोष किया है।



विचारण न्यायालय का निर्णय मुख्यतः डॉ. डी.के. अग्रवाल (अ.सा.-12) और बचाव पक्ष के साक्षी डॉ. अंबिका प्रसाद दुबे (ब.सा.-13) के साक्ष्य पर आधारित है।

46. डॉ. डी.के. अग्रवाल (अभि.सा.-12) ने अपने साक्ष्य में मृतक को लगी चोटों का विवरण दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया है कि शरीर पर कोई गोदना या त्वचा का कालापन नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि घाव क्रमांक 1, 2 और 4 अंडाकार घाव थे, किनारे उल्टे थे, घावों की दिशा तिरछी थी और घाव क्रमांक 4 के 3 इंच अंदर एक अनियमित धातु का टुकड़ा धँसा हुआ था। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 11 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि जब गोली शरीर में प्रवेश करती है, तो घाव उल्टा होता है और जब गोली शरीर से बाहर निकलती है, तो घाव उल्टा होता है और उन्हें उल्टे किनारे वाला कोई घाव नहीं मिला है। उन्होंने कंडिका 17 में यह भी स्वीकार किया है कि मृतक के सिर के अंदर कोई गोली नहीं मिली थी।

47. जे.पी. निगम (अभि.सा.-18), सहायक संचालक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर, ने विस्तार से यह प्रमाणित किया है कि सीसा और तांबे का परीक्षण सकारात्मक पाया गया, जो इस तथ्य का संकेत देता है कि कार में पाए गए कुछ पदार्थ गोली के टुकड़े थे।

48. बचाव पक्ष ने डॉ. अंबिका प्रसाद दुबे (ब.सा.-13) से प्रतिपरीक्षण की, जिन्होंने अभिकथन दिया कि शवपरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि श्रीमती स्वदेश नीलम के शरीर पर पाए गए घाव गोली लगने से नहीं लगे थे। उन्होंने घाव के प्रवेश द्वार पर टैटू न होने और त्वचा का काला पड़ना, घाव के किनारे 'ग्रीस के सेलर' या घर्षण का न होना और शरीर के अंदर गोली के कुछ हिस्सों का न होना, इस आधार पर अपनी राय दी है। लेकिन प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर देते हुए, उन्होंने स्वीकार किया है कि काला पड़ना और टैटू उस जगह की दूरी पर निर्भर करेगा जहाँ से गोली चलाई गई है। उन्होंने प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर देते हुए यह भी स्वीकार किया है कि यदि बंदूक 4 फीट या उससे अधिक दूरी से चलाई जाती है, तो कोई टैटू या कालापन नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि टैटू न होने और त्वचा के काले पड़ने के आधार पर इस साक्षी ने यह राय दी है कि मृतक के शरीर पर पाए गए उल्टे किनारों वाले अंडाकार घाव गोली लगने से नहीं लगे थे।



49. अमर सिंह (अ.सा.-45) - शेवरले कार का चालक, इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण साक्षी, ने अपने साक्ष्य के कंडिका 5 में यह प्रमाणित किया है कि दोनों गोलियाँ 7-8 गज की दूरी से, अर्थात् 4 गज से अधिक दूरी से चलाई गई थीं। इन परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से, चोटों पर टैटू या त्वचा का कालापन नहीं पाया गया होगा। सभी मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि मृतक के शरीर के अंदर गोली या गोली का कोई अंश उपस्थित हो, लेकिन शेवरले कार के फर्श पर गोली का एक टुकड़ा पाया गया था।

50. डॉ. डी.के. अग्रवाल (अ.सा.-12) और डॉ. अंबिका प्रसाद दुबे (ब.सा.-13) की उपरोक्त अभिकथन के आधार पर, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु गोली लगने से नहीं, बल्कि ट्रक से टक्कर लगने के कारण हुई थी। अमर सिंह (अ.सा.-45), जो कार के अंदर बैठा था और कार चला रहा था, ने स्पष्ट रूप से अभिकथन दिया है कि टक्कर के परिणामस्वरूप कार में बैठे सभी व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं, टक्कर के तुरंत बाद एक व्यक्ति ने बंदूक से गोली चलाई जिससे श्रीमती स्वदेश नीलम को घातक चोटें आईं और वे चोटों के कारण तुरंत गिर गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिकथन दिया है कि ट्रक से टक्कर के तुरंत बाद, श्रीमती स्वदेश नीलम गिरी नहीं थीं, बल्कि गोली लगने के बाद वे कार के अंदर गिर गईं।

51. यह ध्यान देना उचित है कि शेवरले कार के अंदर बैठे अन्य व्यक्ति अर्थात् गुरुबखश सिंह (अ.सा.-42), नरसिंह, मनमोहन सिंह और अमर सिंह (अ.सा.-45) को भी चोटें आईं हैं और चिकित्सक द्वारा क्रमशः प्र.पी-22, पी-81, पी-82 और पी-83 के माध्यम से उनकी जांच की गई थी और उनकी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। इससे पता चलता है कि शेवरले कार के अंदर बैठे व्यक्तियों को इस तरह की टक्कर के परिणामस्वरूप घातक या खतरनाक चोटें नहीं आईं हैं, केवल श्रीमती स्वदेश नीलम को घातक चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। चोटों का विवरण, चोटों की प्रकृति, टैटू का अभाव और त्वचा का काला पड़ना, चोटों के किनारे उल्टे होना, कार के फर्श पर कार के अंदर गोली के हिस्से की उपस्थिति, कार में बैठे अन्य व्यक्तियों को लगी सामान्य चोटें यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि मृतक श्रीमती स्वदेश नीलम की ट्रक से



टक्कर के परिणामस्वरूप लगी चोटों के कारण मृत्यु नहीं हुई श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु के कारण के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विकृत है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और अन्य परिस्थितियों पर आधारित नहीं है।

52. यह सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के विरुद्ध एक दांडिक अपील है और अपीलीय न्यायालय साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष का पुनः विवेचना करने और संहिता की धारा 386 के अनुसार अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को सही करने के लिए स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के पुनः विवेचना और परिवर्तन के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **शाम सुंदर बनाम पून व एक अन्य**¹⁷ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय, संहिता की धारा 386 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को बरी कर सकता है या निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, दंडादेश को यथावत रख सकता है या निष्कर्ष में परिवर्तन करके या उसके बिना, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। उक्त निर्णय के कंडिका 2 इस प्रकार है,

"2. उच्च न्यायालय, धारा 386, दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, किसी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में, निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को बरी कर सकता है या निष्कर्ष में परिवर्तन करके सजा को यथावत रख सकता है या निष्कर्ष में परिवर्तन करके या बिना परिवर्तन किए, सजा की प्रकृति या सीमा में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर सकता। साक्ष्यों से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ उतनी ही व्यापक हैं जितनी कि विचारण न्यायालय की। तथ्यों की अंतिम न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह साक्ष्यों की जाँच करे और अपने समक्ष अपीलार्थियों के दोषी होने या न होने के संबंध में अभिलेख में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुँचे।



53. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिंदर सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य¹⁸ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 386 के अंतर्गत समस्त साक्ष्यों का नए सिरे से विवेचना अनुमन्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि सत्र न्यायालय के बरी करने के निर्णय को पलटने में उच्च न्यायालय का निर्णय सही था। विचारण न्यायालय के निर्णय में विकृतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। साक्ष्यों उसका विवेचना पूर्णतः अनुचित है और उसने तात्विक अनियमितता बरती है। अपीलार्थियों को बरी करने का निर्णय दर्ज करने के लिए उसने सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखा है।

54. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के साक्ष्यों की गहन जाँच करने पर, ट्रक से टक्कर लगने के कारण हुई चोट के परिणामस्वरूप श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष संधारणीय नहीं है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य पर्याप्त हैं कि श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई थी। भजन सिंह (अ.सा.-1), प्रीतम सिंह (अ.सा.-2), उदयराज दुबे (अ.सा.-35) और पी.के. वर्मा (अ.सा.-56) के साक्ष्य, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन दिया था कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने श्रीमती स्वदेश नीलम को गोली मारकर घायल किया है, अमर सिंह (अ.सा.-45) के साक्ष्य द्वारा समर्थित, विश्वास पैदा करते हैं, उनके साक्ष्य विश्वसनीय हैं और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी अवतार सिंह ही वह व्यक्ति है जिसने श्रीमती स्वदेश नीलम को गोली मारकर घायल किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

55. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था। भजन सिंह (अभि.सा.-1) और प्रीतम सिंह (अभि.सा.-2) के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी ने श्रीमती स्वदेश नीलम को इस गलत धारणा के तहत घातक चोटें पहुँचाई कि निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह शेवरले कार के अंदर बैठे थे, और निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या के बराबर की हत्या कारित करने के आशय से, अपीलार्थी ने शेवरले कार पर



गोलियां चलाई और उपरोक्त चोटें पहुँचाई, जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती स्वदेश नीलम की तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं।

56. विचारण न्यायालय ने एक नया मामला बनाकर यह निष्कर्ष निकाला है कि दो अज्ञात व्यक्तियों और अपीलार्थी ने समान आशय से एक दूसरे पर घातक चोटें पहुँचाई हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य से इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं किया गया है, यह न तो अभियोजन पक्ष का मामला था और न ही बचाव पक्ष का और इसलिए, ऐसा निष्कर्ष विधि के तहत संधारणीय नहीं है।

57. मूलतः, इस मामले में अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से बरी कर दिया। बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष का पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया और बचाव पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया।

प्रीतम सिंह और अमृतलाल (पूर्वोक्त) के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो निष्कर्ष अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, वह उसी मामले में बाद के चरण में बाध्यकारी और निर्णायक है। वर्तमान मामले में, इस अपील के लंबित रहने और आक्षेपित निर्णय के अस्तित्व में रहते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने दिनांक 9-12-1987 के आदेश द्वारा दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 342/1993 में अभियुक्त अवतार सिंह, अजीज मोहम्मद और हरबिंदर सिंह उर्फ कुक्की के विरुद्ध पुनः विचारण का निर्देश दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने दांडिक अपील क्रमांक 428/89 और 738/91 में दिनांक 27-11-1997 के निर्णय द्वारा केवल इस आधार पर अपास्त कर दिया कि विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किए बिना पुनः विचारण का आदेश नहीं दिया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी को बरी करना उचित था या नहीं। दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 342/1983 में पारित दिनांक 9-12-



1987 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इस तकनीकी आधार पर अपास्त कर दिया है कि विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किए बिना, पुनः विचारण का आदेश नहीं दिया जा सकता था। इसलिए, इस मामले में कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं हुआ है।

58. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या करने के आशय से अपीलार्थी ने श्रीमती स्वदेश नीलम को घातक चोटें पहुंचाईं न कि श्रीमती स्वदेश नीलम की मृत्यु का कारण बनने के इरादे से और इस तरह उनकी मृत्यु हुई। अपीलार्थी का कृत्य स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 301 की श्रेणी में आता है और यह हत्या कारित करने अपराध है।

59. वर्तमान मामले में द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 इस प्रकार है: -

"301. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध-यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा, जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उस द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।"

60. इस प्रकार, अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है।

61. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत भी



दोषसिद्ध कर और दंडित किया है। इस आधार पर कि अपीलार्थी ने निरंकारी प्रमुख की हत्या के आशय से शेवरले कार पर दो बार गोली चलाई थी।

62. अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की गैर इरादतन हत्या करने के आशय से, अपीलार्थी ने गोली चलाई और श्रीमती स्वदेश नीलम की हत्या कर दी। यह वह मामला नहीं है जिसमें यह तथ्य जानने के बाद कि अपीलार्थी ने गलत धारणा के तहत निरंकारी प्रमुख की हत्या करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति (श्रीमती स्वदेश नीलम) की हत्या की है और फिर उसने निरंकारी प्रमुख की हत्या का पुनः प्रयास किया है। समस्त साक्ष्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी अपने उद्देश्य में सफल रहा और बार-बार गोलीबारी करने के बाद, उसने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया। इससे पता चलता है कि उसने शेवरले कार पर बार-बार गोलीबारी करने के बाद निरंकारी प्रमुख सहित किसी भी व्यक्ति की हत्या का प्रयास नहीं किया। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत संधारणीय नहीं है।

63. आयुध अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आयुध अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अपीलार्थी पर अधिरोपित दो वर्ष के कारावास का दंड न्यायोचित और उपयुक्त है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

64. पक्षकारों के साक्ष्यों की गहन जाँच करने, साक्ष्यों और विचारण न्यायालय के विपरीत निष्कर्ष पर पुनर्विचार करने के बाद, हमारा मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत संधारणीय नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने श्रीमती स्वदेश नीलम की हत्या की है जो मानववध के बराबर है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत नहीं।



65. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय संशोधित किया जाता है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप से बरी किया जाता है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के बजाय धारा 302 के तहत सिद्धदोष किया जाता है और आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। आयुध अधिनियम की धारा 28 के तहत उस पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्वारा यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है, उसके जमानत बंध पत्र उन्मोचित किए जाते हैं और उसे शेष दंड भुगतने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय के समक्ष तत्काल अभ्यर्पण करने का आदेश दिया जाता है।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Vijay Kumar Sahu , Advocate